कार्यालय जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स हरिद्वार
पता- निकट आर०टी०ओ० कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार

पत्रांकः डी.सी./छः-1/ हो.गा./2026-27/116 दिनांक 30.04.2026

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 140946/XX (2) 23-25 (हो०गा०) /2014 गृह अनुभाग-2 दिनांक 26 जुलाई, 2023, शासनादेश संख्या 64/ XXXVI (3)/2019/19 (1)/2019 देहरादून दिनांकः 07 मार्च 2019, शासनादेश संख्या 87/ XXX (2)/2006/19 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांकः 21 जनवरी 2006 शासनादेश स0-103, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 30 अगस्त 2024. शासनादेश संख्या 61/ XXX (2)/2025 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 देहरादून दिनांकः 30 मई 2025 शासनादेश संख्या 124/ XXX(2)/2020-53(01)/ 2001 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 देहरादून दिनांकः 22 मई, 2020 शासनादेश संख्या 160/XXXVI(3)/ 2025/12(01)/2025 देहरादून दिनांक 22 अप्रैल, 2025 तथा होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखण्ड देहरादूनः के पत्रांक सीजी-/133VI/ हो.गा./2018/47 दिनांक अप्रैल 02, 2026 एवं सीजी/ 133V/ हो.गा./ 2018/ 259 दिनांकः अप्रैल 13, 2026 एवं सीजी/ 133VI/ हो.गा./ 2018/ 639 दिनांकः अप्रैल 28, 2026 के द्वारा निगर्त दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद हरिद्वार में पुरुष/ महिला होमगाड्र्स के कुल रिक्त 227 पदों पर भर्ती किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के परिपालन में जनपद हरिद्वार में माह जून 2026 तक पुरुष/ महिला होमगार्डस के कुल रिक्त 227 पदों (216 पुरुष/ 11 महिला) पर भर्ती किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के परिपालन में जनपद हरिद्वार के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार-

पुरूष पद (स्वीकृत संख्या-882, उपलब्ध संख्या- 666, रिक्त 216)

क्र. सं.	वर्गवार विवरण	रिक्त संख्या	क्षैतिज आरक्षण			
			उत्तराखण्ड अनाथ बच्चे	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड राज्य आन्दो0
1	UR	136	06	03	06	14
2	EWS	21	01	-	01	02
3	SC	21	01	-	01	02
4	OBC	14	01	-	01	01
5	ST	24	01	01	01	02
कुल योग-		216	10	04	10	21

महिला पद (स्वीकृत संख्या-98, उपलब्ध संख्या- 87, रिक्त 11)

क्र. सं.	वर्गवार विवरण	रिक्त संख्या	क्षैतिज आरक्षण			
			उत्तराखण्ड अनाथ बच्चे	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड राज्य आन्दो0
1	UR	09	-	-	-	01
2	EWS	01	-	-	-	-
3	SC	01	-	-	-	-
कुल योग-		11	-	-	-	01

उक्त पद केवल हरिद्वार जनपद के अर्ह स्थायी निवासियों से ही भरे जाने है। ऐसे इच्छुक एवं अर्ह पुरुष / महिला अभ्यर्थी आवेदन पत्र दिनाक **02.05.2026** से दिनांकः **22.05.2026** तक निःशुल्क किसी भी कार्यालय दिवस में जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स कार्यालय हरिद्वार निकट आरटीओ कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार से प्राप्त कर सकते हैं तथा निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरे आवेदन-पत्र व्यक्तिगत अथवा डाक के माध्यम से किसी भी कार्य दिवस में उक्त कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा किये जाने की अन्तिम तिथि दिनांकः **22.05.2026** की रात्रि 11:59 बजे तक निर्धारित है तत्पश्चात किसी भी प्रकार का आवेदन कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। समयान्तर्गत व्यक्तिगत रूप से जमा होने वाले आवेदनों के सापेक्ष पावती प्रदान की जायेगी जिसे शारीरिक परीक्षा के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तथा डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन को मोबाईल के माध्यम से प्राप्ति की सूचना दी जायेगी। भर्ती हेतु अभ्यर्थियों (पुरुष/ महिला) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के रूप में उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आयु की गणना दिनांकः **01.01.2026** को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी सम्बन्धी विस्तृत विज्ञप्ति संख्या 72 दिनांकः **20.04.2026** जनपद के प्रमुख कार्यालयों एवं जिला होमगार्डस कार्यालय हरिद्वार के सूचनापट्ट से किसी भी कार्य दिवस में अथवा जनपद कार्यालय के फेसबुक पेज Home Guard office Haridwar से भी प्राप्त की जा सकती है। विस्तृत विज्ञप्ति संख्या 115 दिनांकः अप्रैल 30, 2026 के अध्ययन उपरान्त ही आवेदन फार्म भरने की कार्यवाही करें, बिना स्वप्रमाणित, त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण एवं निर्धारित तिथि/ समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नोटः- अभ्यर्थी आवेदन पत्र के कॉलम नं0 15 (उद्घोषणा) में स्वयं के ही हस्ताक्षर करें तथा अपने आवेदन पत्र के साथ वैध प्रमाण-पत्र ही संलग्न करे, अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सभी दस्तावेजों/ अभिलेखों की विभाग द्वारा भी जांच/ सत्यापन कराया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में असत्य जानकारी भरने, संलग्न दस्तावेज/ अभिलेख असत्य पाये जाने तथा आवेदन पत्र के कॉलम नं0 15 (उद्घोषणा) में नकली हस्ताक्षर पाये जाने की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करते हुये नियमानुसार प्रचलित नियमों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसके लिये अभ्यर्थी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, हरिद्वार